Office Of The District Collector and District Magistrate
Hanumangarh (Rajasthan)

No. F.21( )( ) NOC/Jud./2020/ 17625 Date: 20/10/2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.- 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be deverted for non-forest purposed read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.1685 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Nayara Energy Limited for Construction of Approach Road for Proposed **Proposed Private Industrial Property of** Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Suratgarh-Sri Ganganagar NH-62, Between Chainage ms stone- 209+390 to 209+430(RHS) Pather no 40/247(56) kila no 21,22 &23 at Village 7 BLW, Tehsil Pilibanga, District Hanumangarh.

It is further certified that :-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1685 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub- Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure ...

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Collector & District Magistrate
Hanumangarh (Rajasthan)

जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

No. F.21( )( ) NOC/Jud./2020/ 17626-27 Date: 20/10/2020

Copy to :-

1- **DCF Hanumangarh.**
2- **Smt. Suman W/o Perm Kumar, House No 8, Gali No 1, Vikas Nager, Sri Ganganager (Rajasthan)**

Add. Collector & Add. District Magistrate
Hanumangarh (Rajasthan)

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

क्रमांकः– एफ 21( )( ) एनओसी/न्याय/2020/17163 दिनांक :– 08/10/2020

–: बैठक कार्यवाही विवरण :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/राज/06/22/2015/एफ.री./200 दिनांक 02.06.2015 एवं राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3) के पत्रांक प.6 (14)प्रसू/अनु–3/2008(2) दिनांक 14.03.2008 की अनुपालना में दिनांक 06.10.2020 को 12 पी.एम. पर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति के संबंध में जिला स्तरीय समिति हनुमानगढ़ की बैठक जिला कलक्टर कक्ष में रखी गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थित हुऐ :–

1. जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़।
4. उपवन संरक्षक हनुमानगढ़।

उक्त बैठक में प्रस्तावित वन भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–62 पर स्थित चक 7 बीएलडब्लयु के प0न0 40/247, कि0न0 21/0.026 हैक्टेयर, 22/0.228 हैक्टेयर कुल 0.254 हैक्टेयर भूमि पर नायरा एनर्जी लिमिटेड (एस्सार ऑयल लिमिटेड) जोधपुर द्वारा रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) लगाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 से रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) पर वाहनों के आवागमन हेतु 0.254 हैक्टेयर भूमि के प्रस्ताव के संबंध में जिले के उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, विकास अधिकारी पंचायत समिति पीलीबंगा एवं ग्राम पंचायत खोथांवाली तहसील पीलीबंगा की गठित कमेटी से प्राप्त बैठक कार्यवाही विवरण के आधार पर लिये गये निर्णय अनुसार हनुमानगढ़ जिले के अधीनस्थ वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति/समुदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकारों हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है।

अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–62 पर स्थित चक 7 बीएलडब्लयु के प0न0 40/247, कि0न0 21/0.026 हैक्टेयर, 22/0.228 हैक्टेयर कुल 0.254 हैक्टेयर भूमि पर नायरा एनर्जी लिमिटेड (एस्सार ऑयल लिमिटेड) जोधपुर द्वारा रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) लगाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 62 से रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) पर वाहनों के आवागमन हेतु कुल 0.254 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में प्रस्ताव की सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशंषा की जाती है।

6.10.2020

उपवन संरक्षक हनुमानगढ़ (सदस्य)	अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (सदस्य)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़ (सदस्य)	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ (अध्यक्ष)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट पीलीबंगा

क्रमांकः—　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनाँकः—17.09.2020

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के पत्रांक एफ.17 ()()न्याय/विविध/2020/15311 दिनांक 04.09.2020 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 17.09.2020 को उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया बैठक में उपस्थित अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है।

1.उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

2.विकास अधिकारी पीलीबंगा

3.क्षेत्रिय वन अधिकारी पीलीबंगा

बैठक में जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ के विचाराधीन प्रकरण मुरब्बा नम्बर 6, प.न.40/247 किनन.21,22,0 23 गांव 7 बीएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ पर नया रिटेल आउटलेट (पट्रोल पम्प) एंव मु.न.55 किपन.21 ता 25 चक बीएलबल्यू नजदीक जी.आर ग्लोबल स्कूल गंगानगर रोड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ पर निर्माण इकाई (बायो डीजल) स्थापित करने बाबत के संबध में चर्चा की गई क्षेत्रिय वन अधिकारी पीलीबंगा के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्रीमती सुमन पत्नी प्रेमकुमार की प्रस्तावित भूमि व सडक के मध्य00.1685 है. एंव director Juggler HAWK ind pvt ltd की प्रस्तावित भुमि के मघ्य 0.2239 है.वन भूमि है जिसका गजट नोटिफिकेशन राजस्व विभाग द्वारा protected Forest है। प्रस्तावित भूमि वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 एंव संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि से अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी दावे लम्बित या प्रक्रियाधीन नहीं है। इस बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति/समुदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकारी के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विकास अधिकारी पीलीबंगा द्वारा अवगत करवाया गया कि उपरोक्त के संबंध में ग्राम सभा प्रस्ताव दिनांक 17.09.2020 प्रस्ताव संख्या 03 लिया गया। जिसमें अनापति प्रमाण—पत्र जारी करने की अनुशंषा की गई। जिसकी कार्यवाही संलग्न है।

अंत मे बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

	17/9/20	17-09-2020
क्षेत्रिय वन अधिकारी पीलीबंगा	विकास अधिकारी पंचायत समिति पीलीबंगा	(प्रियंका तलानिया RAS) उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कार्यालय ग्राम पंचायत खोथांवाली पंचायत समिति पीलीबंगा

कमांक :– 410

दिनांक– 17-9-20

श्रीमान् विकास अधिकारी,
पंचायत समिति पीलीबंगा।

विषय– ग्राम सभा प्रस्ताव दिनांक 17.09.2020 प्रस्ताव संख्या 03 के सबंधं में ।

आज दिनांक 17.09.2020 को ग्राम सभा बैठक का आयोजन सरपंच श्रीमति सुशीला की अध्यक्षता में आयोजित की गई उक्त गाम सभा में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के निम्नाकित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया जिसकी कार्यवाही निम्नानुसार है ।

9. श्रीमति सुशीला	सरपंच अध्यक्ष	
10. श्री सुशील कुमार ग्राम विकास अधिकारी		सदस्य
11. श्री अर्मतपाल	कृषि प्रवेक्षक	सदस्य
12. श्री सतेन्द्रपालसिंह	प्राचार्य	सदस्य
13. श्री कलवंतसिंह	उपसरपंच	सदस्य
14. क्षैत्रीय वन अधिकारी		सदस्य
15. श्री मति अर्मतपाल कौर	कार्यकर्ता	सदस्य
16. श्री नीकुराम	राजस्व पटवारी	सदस्य

आज की बैठक में श्रीमति सुमन पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट साकिन चक विकास नगर श्रीगंगानगर द्वारा मुरबा न0 56 पत्थर न0 40/247 किला न0 21 से 23 चक 7 बीएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर नया रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने व मुरबा न0 55 किला न0 21 ता 25 चक 7 बीएलडब्ल्यू मे बायोडीजल इकाई स्थापित करने हेतू अनापति प्रमाण–पत्र चाहा है। उक्त दोनों तरफ रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं सशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्पसंगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है उक्त जगह पर कोई उक्त वन भूमि में पेड नही है सूखे घास व छोटी मोडी झांडिया है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का आवास नहीं है न ही कोई आवासीय क्षैत्र आवासीय क्षैत्र सामान्य/अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत निवासी क्षैत्र प्रभावित करता है । उक्त प्रावधानों के सबंधं में ग्राम पंचायत खोंथावाली पंचायत समिति पीलीबंगा के द्वारा अनापति प्रमाण–पत्र जारी करने की अनुषाशा श्रीमान जी को अग्रिम कार्यवाही प्रेषित है।

सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...खोथांवाली...
पंचायत समिति पीलीबंगा

सुशीला
सरपंच
ग्राम पंचायत खोथावाली
श्रीमती सुशीला
सरपंच
ग्राम पंचायत खोथांवाली
पंचायत समिति, पीलीबंगा

fax no-01508-234313
email id.—egspsps1970@gmail.com

कार्यालय पंचायत समिति पीलीबंगा, जिला परिषद् हनुमानगढ़

क्रमांकः-पं.सं.पी/पं.शा./2020/ दिनांकः-

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
जिला हनुमानगढ़।

विषय :- मुरब्बा नं.56, प0न0 40/247, कि0न0 21,22 व 23 गांव 7 बी.एल.डब्ल्यू, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ पर नया रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) एवं मु0 न0 55 कि0न0 21 ता 25 चक 7 बी.एल.डब्ल्यू, नजदीक जी. आर. ग्लोबल स्कूल गंगानगर रोड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ पर निर्माण इकाई (बायो डीजल)स्थपित करने के संबंध में ग्राम सभा बैठक आयोजन करने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान जी के कार्यालय पत्रांक 16018 दिनांक 04.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आवेदक श्रीमती सुमन पत्नी श्री प्रेम कुमार निवासी नया चक विकास नगर श्रीगंगानगर के द्वारा मुरब्बा नं.56, प0न0 40/247, कि0न0 21,22 व 23 गांव 7 बी.एल.डब्ल्यू, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ पर नया रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) स्थापित करने एवं आवेदक Director juggler Hawk Ind. Pvt. Ltd. श्री गंगानगर द्वारा मु0 न0 55 कि0न0 21 ता 25 चक 7 बी.एल.डब्ल्यू, नजदीक जी. आर. ग्लोबल स्कूल गंगानगर रोड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ पर निर्माण इकाई (बायो डीजल)स्थपित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहा है, उक्त दोनों रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के प्रावधनों के तहत आप द्वारा संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायत में ग्राम सभा बैठक आयोजित कर बैठक कार्यवाही विवरण भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

श्रीमान जी निर्देशो की पालना में ग्राम पंचायत खोथावाली द्वारा ग्राम सभा बैठक का आयोजन कर लिया गया है बैठक कार्यवाही विवरण सलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सलग्नः- ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण।

—sd—
(विनोद कुमार रैगर)
RDS
विकास अधिकारी
पंचायत समिति पीलीबंगा

क्रमांकः-पं.सं.पी/निर्माण शाखा/2020/ 6160
दिनांकः- 17-09-2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ सादर प्रेषित है-
1.श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,पीलीबंगा।

17/9/20
(विनोद कुमार रैगर)
RDS
विकास अधिकारी
पंचायत समिति पीलीबंगा

htl

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / उप समिति खोथावाली   बैंच पीलीबंगा   जिला हनुमानगढ़   (राज.) वर्ष 202

बैठक होने की दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उप सदस्यों के ह
1	2	3	4	5	6
17-9-20	पंचायत भवन	श्रीमति सुशीला		आज दिनांक 17/9/20 को ग्राम पंचायत खोथावाली में विशेष बैठक उपजिला कलेक्टर महोदय के द्वारा क्रमांक 16018 दिनांक 4-9-20 की अनुपालना में आयोजित की गई। उपस्थित सदन को आज की विशेष बैठक के आयोजन बाबत सर्वप्रथम अवगत करवाया गया कि आज की बैठक में N.H. सूरतगढ़ से गंगानगर का क्षेत्र में चक 36 MOD, 37 MOD, 38 MOD, 5 RLW, 7 BLW व अन्य क्षेत्र जो ग्राम पंचायत खोथावाली के क्षेत्राधिकार में आता है उक्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाई पम्प व अन्य कार्यों हेतु भूमि का सुपुर्दगी किया जाता है तो ग्राम सभा में लोगों की राय के आधार पर कार्यवाही हेतु बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्रस्ताव सं. 1 आज की बैठक में श्रीमान उपजिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक प्रार्थना पत्र के	
				अनुसार चक 7 BLW में सुमन पत्नी प्रेमकुमार के द्वारा एक नया रिटेल पम्प आउटलेट का निर्माण H.R. ग्लोबल एजेंसी के नाम करवाना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र को आज की बैठक कार्यवाही में रखा गया व बैठक के अध्यक्ष महोदय श्रीमति सुशीला सरपंच एवं ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों व ग्रामीणों ने उक्त नया रिटेल पम्प आउटलेट के बारे में चर्चा की ग्राम सभा में चर्चा के उपरान्त सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ वन भूमि व अनुसूचित जन जाति की भूमि में कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर रहे हैं ना ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई वन भूमि में कोई निवासी निवास नहीं कर रहा है। अतः उक्त स्थान पर नया रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) का निर्माण करवाये जाने पर किसी भी वन भूमि व अन्य किसी को कोई नुकसान नहीं होगा विभागीय नियमानुसार उक्त नया रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की अनुमति दी जानी उचित है बाद विचार सदन में निर्णय लिया कि उक्त नया रिटेल पम्प के लगाये जाने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा पम्प संचालक द्वारा	

प्रमाणित

सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खोथावाली
पंचायत समिति पीलीबंगा

. रा. 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/ उप समिति खोयावाली बैंच पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.) वर्ष 2020-21

क्रम होने दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
20	श्रीमति	सुशीला		नये 25 पेड़ों को लगाकर सार सम्भाल करनी उचित है।	सुशीला
				प्रस्ताव क्र० 2	[illegible]
				आज की बैठक में अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक सड़क निर्माण विभाग द्वारा बीकानेर द्वारा ग्रामपंचायत के क्षेत्राधिकार में वन भूमि के विपथन का अनुमोदन हेतु प्रार्थना पत्र जरिये उपखण्ड मोहदय द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के अनुसार सूरतगढ़ से नगानगर सड़क में वन भूमि के विपथन के बारे में जनता को अवगत कराया गया कि उक्त सड़क के दोनों तरफ भूमि में कोई वनवासी निवास नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई वन या पेड़ सड़क पर नहीं है। उक्त सड़क पर पम्प स्थापित करने में कोई पेड़ों की कटाई नहीं होगी, बाद विचार विमर्श सब सदस्यों से पंचायत बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि राजस्व रिकार्ड में	गोमती वार्ड सं० 1; [illegible] वार्ड सं० 5; सुरसतराम वार्ड सं० 4; सेवासिंह वार्ड 12; [illegible] वार्ड 13
				कोई वन भूमि दर्ज नहीं है और ना ही उक्त भूमि में कोई वनवासी निवास कर रहा है। अतः आज की ग्राम सभा में लोगों द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि राजकीय राजमार्ग के दोनों तरफ कोई वनवासी नहीं है। उक्त भूमि का विपथन का प्रस्ताव सर्व सहमति से अनुमोदन किया जाता है और राज्य सरकार के नियमों में भूमि का स्थानांतरण किसे जाने पर ग्रामपंचायत को कोई एतराज नहीं है।	गोमती; अमृतपाल; सुषमा; मंजु; कलवन्तसिंह
				ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक कार्यवाही	[illegible]
				आज दिनांक 16-9-20 को ग्राम पंचायत कार्यालय खोयावाली में वन अधिकार अधिनियम 2006 के सम्बन्ध में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए	मनोहर
				1. श्रीमति सुशीला — सरपंच — अध्यक्ष	
				2. सुशील कुमार — ग्रा. वि. अधिकारी — सदस्य	
				3. नेकुराम — राजस्व पटवारी	
				4. सतेन्द्र पाल सिंह — प्राचार्य	
				5 क्षेत्रीय वन अधिकारी	
				6 अमृतपाल कौर — कार्मिक	
				7 कलवन्तसिंह — उपसरपंच	

प्रमाणित

सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खोयावाली
पंचायत समिति पीलीबंगा

रा. प. रा. 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/ उप समिति खोथावाली बैंच पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.) वर्ष 2020

बैठक होने की दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
				नहीं हुई है। ग्राम पंचायत समिति की बकाया है या ग्राम पंचायत स्तर पर लम्बित है। सदन को बताया गया कि निविदा प्रक्रिया पंचायत समिति स्तर से प्रसारित की गई है। निविदा में समस्त कार्यवाही पंचायत समिति स्तर से ही होती है। ग्राम पंचायत स्तर से कोई कार्यवाही बकाया नहीं निविदा हेतु श्रीमान विकास अधिकारी महोदय से उक्त बाबत मार्गदर्शन लिया जावेगा जिससे निविदा होने पर मनरेगा के कार्य स्वीकृति बाबत कार्यवाही की जायेगी प्रस्ताव सं० 6 आज की बैठक में सरपंच महोदय द्वारा अवगत करवाया कि MLA LAD योजना में श्रीमान विधायक महोदय श्री धर्मेन्द्र मोची द्वारा रा० उ० मा० वि० खोथांवाली में वॉलीबाल खेल मैदान हेतु विधायक कोष से एक लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति	मंजु वार्डपंच
				क्रमांक 3745-49 दिनांक 10-9-20 को जारी हो चुकी है उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति जारी करवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र कार्य स्वीकृति प्रस्ताव पत्र – चैक लिस्ट प्रस्ताव जारी किये जाने अपेक्षित हैं बाद विचार सदन को बताया कि उक्त कार्य सम्बन्धी समस्त दस्तावेज तकमीना तैयार कर आगामी कार्यवाही हेतु श्रीमान को प्रेषित है बाद विचार विमर्श उक्त बैठक का समापन अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया गया	गोमती

सुशीला
श्रीमती सुशीला
सरपंच
ग्राम पंचायत खोथांवाली
पंचायत समिति, पीलीबंगा

सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खोथांवाली
पंचायत समिति पीलीबंगा

सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खोथांवाली
पंचायत समिति पीलीबंगा

रा. प. रा. 44

बैठक ग्राम सभा प्रतिलिपि 17-9-20 खोथावाली

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / उप समिति खोथावाली बैंच पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.) वर्ष 20[illegible]

बैठक होने की दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उप[illegible] सदस्यों के ह[illegible]
1	2	3	4	5	6
17-9-20	पंचायत घर	श्रीमति सुशीला		आज दिनांक 17/9/20 को ग्राम पंचायत खोथावाली में विशेष बैठक उपजिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 16018 दिनांक 4-9-20 की अनुपालना में आयोजित की गई उपस्थित सदस्यों को आज की विशेष बैठक के आयोजन बाबत सर्वप्रथम अवगत करवाया गया कि आज की बैठक में N.H. सूरतगढ़ से गंगानगर का क्षेत्र में चक 36 MOD, 37 MOD. 38 MOD. 4 RLW. 7 B.LW. व अन्य क्षेत्र जो ग्राम पंचायत खोथावाली के क्षेत्राधिकार में आता है उक्त क्षेत्र में जो भी किसी प्रकार पम्प व अन्य कार्यों हेतु भूमि का सत्यापन किया जाता है तो ग्राम सभा में लोगों की राय के आधार पर कार्यवाही हेतु बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्रस्ताव सं. 1 आज की बैठक में श्रीमान उपजिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक प्रार्थना पत्र के अनुसार चक 7 BLW में सुमन पत्नी प्रेमकुमार के द्वारा एक नया रिटेल पम्प आउटलेट का निर्माण J.R. फ्यूल्स एजेंसी के नाम करवाना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र को आज की बैठक कार्यवाही में रखा गया व बैठक के अध्यक्ष महोदय श्रीमति सुशीला सरपंच एवं ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों व ग्रामीणों ने उक्त नया रिटेल पम्प आउटलेट के बारे में चर्चा की ग्राम सभा में चर्चा के उपरान्त सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ वन भूमि व अनुसूचित जन जाति की भूमि में कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर रहे हैं ना ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई वन भूमि में कोई निवासी निवास नहीं कर रहा है। अतः उक्त स्थान पर नया रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) का निर्माण करवाये जाने पर किसी भी वन भूमि व अन्य किसी को कोई नुकसान नहीं होगा विभागीय नियमानुसार उक्त नया रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की अनुमति दी जानी उचित है बाद विचार सदन में निर्णय लिया कि उक्त नया रिटेल पम्प के लगाये जाने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा पम्प संचालक द्वारा	

प्रमाणित

सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खोथावाली
पंचायत समिति पीलीबंगा

. रा. 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

यत/ उप समिति खोथावाली बैंच पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.) वर्ष 2020-21

क्र होने दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
20	श्रीमति	सुशीला		नये पेड़ों को लगाकर सार सम्भाल करनी उचित है।	सुशीला
				प्रस्ताव सं० 2	
				आज की बैठक में अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक सड़क निर्माण विभाग द्वारा बीकानेर द्वारा ग्रामपंचायत के क्षेत्राधिकार में वन भूमि का विपथन का अनुमोदन हेतु प्रार्थना पत्र जरीये उपखण्ड मोहदय द्वारा प्राप्त हुआ है उक्त पत्र के अनुसार सूरतगढ़ से गंगानगर सड़क में वन भूमि के विपथन के बारे में जनता को अवगत करवाया गया कि उक्त सड़क के दोनों तरफ भूमि में कोई वनवासी निवास नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई वन या पेड़ सड़क पर नहीं है उक्त सड़क पर प्रभु स्थापित करने में कोई पेड़ों की कटाई नहीं होगी, बाद विचार विमर्श सर्व सहमति से पंचायत बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि राजकीय निर्माण में	मैना देवी वार्ड सं० 1 बलजीत सिंह वार्ड सं० 5 सुरजाराम वार्ड सं० 4 सेवासिंह वार्ड 12 रामपाल वार्ड 13
				कोई वन भूमि दर्ज नहीं है और ना ही उक्त भूमि में कोई वनवासी निवास कर रहा है अतः आज की ग्राम सभा में लोगों द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि राजकीय राजमार्ग के दोनों तरफ कोई वनवासी नहीं है। उक्त भूमि का विपथन का प्रस्ताव सर्व सहमति से अनुमोदन किया जाता है और राज्य सरकार के नियमों में भूमि का सपरिवर्तन किये जाने पर ग्रामपंचायत को कोई ऐतराज नहीं है	श्रीमती अम्पापाल सुषमा मंजु कलवन्ती
				ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक कार्यवाही	मनजीत
				आज दिनांक 16-9-20 को ग्राम पंचायत कार्यालय खोथावाली में वन अधिकार अधिनियम 2006 के सम्बन्ध में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्न लिख सदस्य उपस्थित हुए	
				1. श्रीमति सुशीला सरपंच अध्यक्ष	
				2. सुशील कुमार ग्रा.वि. अधिकारी	सदस्य
				3. नौरंगराम राजस्व पटवारी	
				4. सतेन्द्र पाल सिंह प्राचार्य	
				5 क्षेत्रीय वन अधिकारी	
				6. अमृतपाल कौर कार्मिक	
				7 कलवन्त सिंह उपसरपंच	

सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खोथावाली
पंचायत समिति पीलीबंगा

रा. प. रा. 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/उप समिति खोथांवाली बैंच पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.) वर्ष 2020

बैठक होने की दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
				नही हुई है पूरी पंचायत समिति को बताया है या ग्रामपंचायत स्तर पर लम्बित है। सदन को बताया गया कि निविदा प्रक्रिया पंचायत समिति स्तर से प्रकाशित की गई है। निविदा में समस्त कार्यवाही पंचायत समिति स्तर से ही होनी है। ग्रामपंचायत स्तर पर कोई कार्यवाही बकाया नही निविदा हेतु श्रीमान विकास अधिकारी महोदय से उक्त बाबत मार्गदर्शन लिया जावेगा जिसमें निविदा होने पर मनरेगा के कार्य स्वीकृति बाबत कार्यवाही की जायेगी प्रस्ताव सं. 6 आज की बैठक में सरपंच महोदय द्वारा अवगत करवाया कि MLA LAD योजना में श्रीमान विधायक के श्री [illegible] मोची द्वारा रा.उ.मा.वि. खोथांवाली में वॉलीबाल खेल मैदान हेतु विधायक कोष से एक लाख रूपए स्वीकृत किये गये है। उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति	मंजु [illegible]
				क्रमांक 3745-49 दिनांक 10-9-20 को जारी हो चुकी है उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति जारी करवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र कार्य स्वीकृति प्रस्ताव पत्र- चैक लिस्ट प्रपत्र जारी किये जाने उचित है बाद विचार सदन को बताया कि उक्त कार्य [illegible] समस्त दस्तावेज की प्रस्ताव तैयार कर आगामी कार्यवाही हेतु श्रीमान को प्रेषित है बाद विचार विमर्श उक्त बैठक का समापन अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया गया	गोमती

सुशीला
श्रीमती सुशीला
सरपंच
ग्राम पंचायत खोथांवाली
पंचायत समिति, पीलीबंगा

सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खोथांवाली
पंचायत समिति पीलीबंगा

सुशील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम खोथांवाली
पंचायत समिति पीलीबंगा